10/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) 6/18 तारीख रजू— 12/04/18

1— लतीफ खान पुत्र हमीद खान आयु 70 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम बहतेड़ तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर। ——प्रार्थी

बनाम

1— सुखदेवा पुत्र भेरू जाति रेगर निवासी ग्राम बहतेड़ तहसील मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।
2— लेण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।
3— सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर।
4— उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर अध्यक्ष आवंटन समिति। ——अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक— 31.10.18

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 17 ए राज0 मिडियम एवं माईनर इरिगेशन रूल्स के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 05/06/73 को ग्राम बहतेड़ तहसील मलारना डूगंर के आराजी खसरा नम्बर 1207 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नं0 2505 रकबा 0.15 है0 एवं 2505/3364 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 भूमि आंवटन की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 05/06/73 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त आराजीयात की किस्म चरागाह है। तथा राजस्थान उपनिवेशन (माध्यम लधु सिंचित परियोजना राज0 भूमि आवंटन) नियम 1957 की धारा 16 के अर्न्तगत चरागाह भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है तथा उक्त आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (माध्यम लधु सिंचित परियोजना राज0 भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत न होकर राजस्थान भू—राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत होता तो 14(4) का प्रार्थना पत्र लगता। उक्त भूमि पर आंवटी का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा आंवटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवंटी ने खं0नं0 1174/1 आवंटन हेतु आवेदन किया है। जबकि आवंटी को खं0नं0 1207 में से 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन की गई है। जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है तथा तहसीलदार मलारना डूगंर ने अपने पत्रांक 1543 दिनांक 14/05/18 में स्पष्ट कथन किया है कि प्रतिवादी सं0 1 (खातेदार सुखदेवा) का कभी भी गत खसरा नं0 1207 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा जिसका वर्तमान खं0नं0 2505 तथा खं0नं0 2505/3564 पर कभी भी खातेदार सुखदेवा का कब्जा नहीं रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आंवटित भूमि पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, साथ ही वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 17 ए राज0मिडियम एवं माईनर इरिगेशन रूल्स स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 05/06/73 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त भूमि हमारे नाम आवंटन हुई है तथा हम खातेदार है। उक्त प्रार्थना पत्र लतीफ खान द्वारा पेश किया गया है, जबकि लतीफ खान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

का उक्त आराजीयात में कोई हित निहित नहीं है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है तथा प्रार्थी को उक्त आवंटन निरस्त हेतु 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 17 ए राज0मिडियम एवं माईनर इरिगेशन रूल्स अस्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 05/06/73 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह पाया गया कि आवंटी द्वारा आवेदन पत्र में खं0नं0 1174/1 में से आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जबकि आवंटी को खं0नं0 1207 में से भूमि आवंटित की गई है, साथ ही पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार मलारना डूगंर के पत्रांक एलआर/18/1543 दिनांक 14/05/18 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 (खातेदार सुखदेवा) का कभी भी गाटा खसरा नं0 1207 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा जिसका वर्तमान खं0नं0 2505 तथा खं0नं0 2505/3564 पर कभी भी खातेदार सुखदेवा का कब्जा नहीं रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त भूमि कि किस्म चरागाह है। राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 16 के अनुसार चरागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। अतः उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः मेरे अभिमत में उक्त आवंटन आदेश निरस्त योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, साथ ही अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में ग्राम बहतेड़ में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 05/06/1973 निरस्त किया जाता है साथ ही तहसीलदार मलारना डूगंर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात पूर्ववत् राजकीय भूमि दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.X.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर